



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012021-224765
CG-DL-E-29012021-224765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 2021/माघ 8, 1942

No. 369]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 2021/MAGHA 8, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2021

का.आ. 401(अ).—भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, श्री ललित भूषण रंजन, भूमि सुधार उप समाहर्ता, गया सदर, बिहार सरकार के स्थान पर श्री प्रेम कांत सूर्य, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सासाराम, बिहार सरकार को बिहार राज्य में जिला गया और औरंगाबाद में आने वाले क्षेत्रों के लिए मैसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड की जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) हेतु पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के अंतर्गत बिहार राज्य में जिला कैमूर और रोहतास के सक्षम प्राधिकारी के रूप में वर्तमान प्रभार के अलावा बिहार राज्य सरकार के अधीन अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए एतद द्वारा प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसे जारी करने की तारीख से लागू होगी।

[फा सं. एल-14014/101/2017-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th January, 2021

S.O. 401(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Prem Kant Surya, Land Reform Deputy Collector, Sasaram, Government of Bihar vice Shri Lalit Bhushan Ranjan, Land Reform Deputy Collector, Gaya Sadar, Government of Bihar to perform the functions of Competent Authority in addition to his duties under the State Government of Bihar apart from present charge as Competent Authority of District –Kamuiur and Rohtas in the State of Bihar under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) of M/s GAIL (India) Limited for the areas falling under District-Gaya and Aurangabad in the State of Bihar.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/101/2017-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy